यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0,चम्बा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0,चम्बा के माह 12/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सुनील कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(त0) द्वारा दिनांक-27.11.2020 से 08.12.2020 तक श्री ए0के0 जैन, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षाश्रीसुनील कुमार एवं प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री पंकज कुमार, वरि0लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक-09.12.2019 से 19.12.2019 तक श्री एस0के0त्यागी, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2018 से 11/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चंबा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ब्लॉक चम्बा एवं थौलधार के मोटर मार्गो एवं पुल के निर्माण एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाते हैं।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	856.34	856.34	2561.31	2102.20		459.11
2019-20	-	-	792.74	792.74	3046.39	2416.26		630.13
2020-21 (11/2020 तक)	-	-	257.35	257.35	1749.14	1707.97		41.17

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2017-18	-	--	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20 (01/2020 तक)	-	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तराखंड शासन
2. प्रमुख अभियंता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड
3. मुख्य अभियंता,लो0नि0वि0
4. अधीक्षण अभियंता,लो0नि0वि0
5. अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चम्बा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0,चम्बा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।थौलधार मे स्यान्सू पुल से बागबाटा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण के कार्य काविस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक दिनांक-19.07.2020 एवं 29.09.2020 को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2020 तथा 09/2020 तक की गई।

5. फार्म-51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` (-)4819740.00

भाग द्वितीय ` 13101.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 6104501.00
(ख) सामग्री क्रय शून्य
(ग) नगद परिशोधन शून्य
(घ) निक्षेप ₹ 25229091.00
(ङ) भण्डार ` 132112.00

भाग-II (ब)

प्रस्तरः1- अनुबंध की शर्तों के विपरीत कार्य का बीमा न करवा कर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना।

(अ) टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के स्यांसू पुल से बागवाटा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण हेतु रू. 485.02 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (06/2018)। कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग टिहरी द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य हेतु एक अनुबन्ध संख्या 31/एस.ई.-8/2018-19 दिनांक 06.02.2019 गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि क्रमशः 06.02.2019 एवं 05.08.2020 थी। पॉचवें चालू देयक के अनुसार कार्य पर ` 216.18 लाख व्यय हो चुका था। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं था।

कार्य के अनुबन्ध की (Clause 13) 13.1 Insurance(के अनुसार - The Contractor shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the defects Liability Period, in the amounts and deductibles started in the PCC for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials

(b) loss of or damage to Equipment

(c)loss of or damage to property (except the works, plant, material and Equipment) in connection with the Contract and

(d) personal injury or death

13.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to rectify the loss or damage incurred.

13.3-If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required, the Employer may effect the insurance which the Contractor should have provided and recover the premiums the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the payment of the premiums shall be a debt due.

13.4-Alterations to the terms of an insurance shall not be made without the approval of the Engineer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

अनुबंध की उक्त शर्तो के अनुसार कार्य का बीमा किया जाना अनिवार्य था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खंड द्वारा कार्य का बीमा न करवा कर अनुबंध की उक्त शर्तो का पालन नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि बीमा खंड एवं ठेकेदार दोनों की जिम्मेदारी थी, यदि ठेकेदार कार्य का बीमा नहीं कराता तो खंड को कराना था ओर ठेकेदार से बीमा की किस्तों की राशि को वसूल किया जाना था

ठेकेदार से कार्य का बीमा न करवाकर ठेकेदार को बीमा की किस्ते न देनी पड़े इसलिए ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया i

आगे अभिलेखो की जांच में यह भी पाया गया कि खंड द्वारा निविदा आमंत्रित करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आगणन में ली गयी कुछ मदों की मात्राओं को कम तथा कुछ मदों की मात्राओं को अधिक कर दिया गया था जो कि औचित्यहीन था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा करवा कर प्रस्तुत कर दिया जाएगा i इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। आगे निविदा आमंत्रित करते समय अनुमोदित आगणन में ली गयी कुछ मदों की मात्राओं को कम तथा कुछ मदों की मात्राओं को अधिक करने के सम्बन्ध में बताया कि निविदा आमंत्रण के समय सम्बंधित अभियंता द्वारा अनुमान के आधार पर मात्राओं को कम या ज्यादा किया जाता है कार्य समाप्ति से पूर्व कार्य का विचलन सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करा लिया जाता है। इस सम्बन्ध में खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि खंड द्वारा पहले विस्तृत मापों के आधार पर आगणन में मदों की मात्राए ली जाती है एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई जाती है उसके बाद ही निविदा आमंत्रण किया जाता है सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित आगणन में ली गयी मात्राओं कम या ज्यादा किया जाना सक्षम अधिकारी के आदेशो की अवहेलना थी

(ब) जिला टिहरी के अन्तर्गत गुनोगी सिलोगी नागराजाधार मोटर मार्ग पर डामरीकरण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि ₹ 424.73 लाख की प्रदान की गयी थी (26.07.16) जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता द्वारा (टिहरी क्षेत्र) समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी (09/2016) कार्य हेतु एक 12/एस.ई./02/2018-19 दिनांक 17.07.2018 गठित किया गया था जिसके अनुरूप कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथि 17.07.2018 तथा 16.01.2020 थी।

अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध के क्लॉज 13 अनुसार कार्य का बीमा Defect Liability Period तक किया जाना था। कार्य अभिलेखों के अनुसार 17.07.2020 को समाप्त हो गया था। कार्य का बीमा न करवाकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया था। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि Tender Call करते समय Estimate में ली गयी मदों की मात्रायें घटा/बढ़ा दी गयी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की उत्तर में बताया गया कि बीमा त्रुटिवश होने से रह गया था ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा प्रस्तुत कर दिया जाएगा इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। अतः कार्य का बीमा न करवा कर खंड द्वारा अनुबंध की शर्तो का पालन नही किया गया

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर: 2 - विविध अग्रिम की धनराशि ` 61.04 लाख की वसूली लम्बित रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि सेअधिक व्यय (3) हानि,त्रुटि के कारण हानि आदि (4) अन्य मद मे,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि, इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशिकी वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षमअधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चम्बा के विविध अग्रिम पंजिका केअवलोकन मे देखा गया कि कार्यालयद्वारा माह 11/2020 तक कुल रु 61,04,501.00 का विविध अग्रिम दिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं-

क्रम स0	नाम	कुल धनराशि	कब से
1	श्री मदनपाल, सहा0अभि0	140631	03/82
2	श्री राजेंद्र शर्मा, कनि0 सहा0	4947	03/82
3	मै0एम0डी0यू0पी0फॉरेस्ट को0लि0 देहरादून	45756	5/2000
4	अधि0अभि0,प्रा0खंड,लो0नि0वी0, नई टिहरी	52000	10/2000
5	अधि0अभि0,प्रा0खंड,लो0नि0वी0, नई टिहरी	455898	12/02
6	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट का0लि0टिहरी	308499	05/06
7	अधि0अभि0 विद्युत वितरण खंड, ऋषिकेश	50000	03/10
8	मै0 दिग्विजय कन्स्ट्रकशन चंबा	342133	03/11
9	आई0आई0टी0रुड़की	13931	06/11
10	श्री सुशील कुमार ठेकेदार	16100	08/11
11	अधि0अभि0 जल संस्थान नई टिहरी	14920	08/11
12	अधि0अभि0 विद्युत/यांत्रिक खंड गोपेश्वर	421094	08/11
13	श्री जय चंद रमोला	19417	08/11
14	श्री पुराण चंद रमोला	22877	08/11
15	श्री जय गोपाल एसोशिएट	9000	09/14
16	श्री एस0एस0कन्स्ट्रकशन	2000	09/14
17	श्री कुलवीर सिंह रानी	7988	03/15
18	मै0रमोला कन्स्ट्रकशन	12052	07/16
19	मै0ओ0पी0बिल्डर्स	8412	08/16
20	मै0रमोला कन्स्ट्रकशन	10242	08/16
21	श्री इलियास हसन	4350	08/16
22	M/s Roapway& Resource Pvt Ltd.	800	02/18
23	M/s Himalayan Engineering Consturction Dehradun	700	02/18
24	M/s Kundan singh Prem Singh	20000	02/18
25	M/s HighteeShramSmvida Samiti	1803	02/18
26	M/s Rajrajeshwari Builder	88167	09/18
27	M/s Kundan singh Prem singh	4030784	03/19
	कुल	6104501	

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित ठेकेदारों/ फ़र्मों/विभागों से वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा हैं खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि दिया गया विविध अग्रिम कई वर्षों पुराना हैं जिसे खंड द्वारा वसूला जाना चाहिये था।

अत: विविध अग्रिम की धनराशि रु 61.04 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:3 - प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit) के प्रत्याहरण (Refund) के संबंध मे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराशि कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराशि भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चम्बा के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि वर्ष 2014-15 से पूर्व अर्थात ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया से पूर्व ठेकेदारों से काटी गयी धरोहर धनराशि रु 44,72,469.00 (चवालीस लाखबाहतरहजार चार सौ उनतर रुपये मात्र) का ठेकेदारो को भुगतान किया जाना शेष हैं जो वर्ष 2001 से वर्ष 2014 के मध्य के हैं। (सलग्नक-'क'के अनुसार)। निक्षेप पंजिका की जांच मे पाया गया कि पंजिका को अद्यतन नही किया जा रहा हैं। वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-VI के पैरा-622 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अदावेकृत धनराशि को राज्य/केंद्र के राजस्व मे जमा कर दिया जाना चाहिए।

इस संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिभूति धनराशि हेतु शासन से बजट की मांग की गयी हैं। शासन से बजट प्राप्त होने पर ठेकेदारों की प्रतिभूति धनराशि वापस कर दी जायेगी। खंड का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपतियों की पुष्टि करता हैं कि ठेकेदारों की प्रतिभूति धनराशि वापस की जानी हैं।

अत: कई वर्षों से ठेकेदारों के प्रतिभूति धनराशि रु 44.73 लाख का प्रत्याहरण (refund) नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर:4 - ₹22.35 लाख के अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना ।

SBD के निम्न Clauses के प्रावधानों के अनुसार: -
46. Liquidated Damages
46.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in the PCC for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date. The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in the PCC. The Employer may deduct liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated damages shall not affect the Contractor's liabilities.
46.2 If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have been paid, the Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate.

GCC 46.1	The liquidated damages for the whole of the Works are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per day. The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the Initial Contract Price.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ,निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 61/III (2)/16-15/(मु°मं°घो°)/2015, दिनांक 12.01.2016 द्वारा लम्बाई किमी. 5.00 हेतु कुल लागत ` 310.00 लाख की प्राप्त थी। अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्र संख्या 6647/636 सी.-8/2016, दिनांक 5.09.2016 द्वारा प्राप्त कराये गये आगणन पर उनकी संस्तुति के आधार पर लम्बाई 4.80 किमी. हेतु लागत ` 310.00 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (टि.क्षे.) लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा वाया पत्रांक 5037/846 चम्बा (टी.एस.)-टिहरी/16, दिनांक 19.09.2016 प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 39/एस.ई.-8/2016-17, दिनांक 28.03.2017 गठित किया गया था। अनुबन्ध के ठेकेदार का नाम मै0 पंवार कन्ट्रक्शन एण्ड ऐसाशियेट्स है। अनुबन्ध धनराशि ` 22926783.00 थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 28.03.2017 एवं कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 27.09.2018 थी। उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा दिनांक 25.10.2019 को पूर्ण किया गया, जो कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि है। एक वर्ष से ज्यादा समय देरी से उक्त कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो.नि.वि., नई टिहरी द्वारा दिनांक 29.02.2020 को उक्त प्रकरण में समय वृद्धि दिनांक 30.10.2019 तक 0.25 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसका अग्रसारण मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लो.नि.वि. पौड़ी द्वारा दिनांक 06.02.2020 को किया गया था। उक्त कार्य Nabard-XXIV के अन्तर्गत पूर्ण किया गया था। Nabard-XXIV के सापेक्ष जारी किये गये प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट को पूर्ण किये जाने पर ` 309.99 लाख का व्यय हुआ, जबकि उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध के सापेक्ष जारी अन्तिम बिल 13 भुगतान तिथि 25.06.2020 के अनुसार ` 23995359.61 के व्यय पर कार्य पूर्ण किया गया।

खण्ड द्वारा ठेकेदार द्वारा 01 वर्ष से ज्यादा देरी पर कार्य पूर्ण किये जाने पर अर्थदण्ड 0.25 प्रतिशत की दर से कुल ` 55406.14 लगाते हुये समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। जबकि अनुबन्धों की शर्तो के अन्तर्गत GCC

46.1 व लागू PCC के अनुसार अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड लागू होता है। अतः अनुबन्ध के सापेक्ष किये गये भुगतान का उक्त अर्थदण्ड (रू. 2292678.00) की वसूली की जानी चाहिए। उक्त SBD में 0.25 प्रतिशत अर्थदण्ड का कोई प्राविधान नही है।

अतः अनुबन्ध लागत ` 2.29 करोड़ का 10 प्रतिशत अर्थात ` 22.90 लाख का अर्थदण्ड के स्थान पर मात्र 0.25 प्रतिशत की दर से ` 55,406.65 अर्थदण्ड अधिरोपित एवं वसूली किया जाना अनुबन्धों की शर्तों के विपरीत है, इस प्रकार अर्थदण्ड की अंतरीय धनराशि ₹22.35 लाख(22.90 - 0.55) की वसूली की जानी चाहिए।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर खंड ने उत्तर में बताया कि उक्त पर व्यवधान ग्राम वासियों द्वारा भी किया गया था, जिसको consider करते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा समयवृद्धि पर मात्र 0.25% का अर्थदण्ड लगाया गया।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को 13 माह से अधिक अर्थात 400 दिन के स्वीकृत समयवृद्धि में ग्रामीणों द्वारा विवाद का कारण मात्र 47 दिन का था और अतिरिक्त कार्य के कारण 17 दिन था जबकिअन्य कारण जैसे वर्षाकाल, सर्दी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब नियमित बाधा है जिसे विचार करते हुए ही अनुबंध में 01 वर्ष 06 माह का कार्य को पूर्ण करने का समयावधि दी गई थी,अतः अवशेष समयावृद्धि 336 (400-47-17) दिन जो दी गई है उसका कोई कारण नहीं है। साथ ही, गठित अनुबंध के अन्तर्गत विभाग एवं ठेकेदार के मध्य किए गये करार के अनुसार लागू SBD (GCC तथा PCC) में 0.25 प्रतिशत का अर्थदण्ड का कोई प्रावधान नहीं है, अतः उपरोक्त नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना था, जिसके अनुसार अनुबन्ध लागत ` 2.29 करोड़ का 10 प्रतिशत अर्थात ` 22.90 लाख का अर्थदण्डअधिरोपण एवं उसकी धनराशि वसूल की जानी थी। इस प्रकार ₹22.35लाख (` 22.90 लाख – अर्थदण्ड की वसूल की गई धनराशि ` 0.55 लाख) का अर्थदण्ड की वसूली की जानी है।

अतः ₹ 22.35 लाख का अर्थदण्ड की वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर :5 - ` 36.06 लाख का अनियमित व्यय/व्यावर्तन ।

Paragraph 375- (a) of Financial Hand Book Vol.-VI provides that it is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned, allotment of funds made, and orders for its commencement issued by competent authority. Permission granted by the Government in orders on a budget estimate, for the retention of an entry of proposed expenditure during the year on a work, conveys no authority for the commencement of outlay.
Further, Rule30 of Uttarakhand Procurement Rules, 2008 provides that before starting any original work, repair, maintenance etc. the following principles should be observed:- (1) No work shall be commenced or liability incurred in connection with it until:- (a) Administrative approval is received from the competent authority, (b) There is availability of budget and a sanction order to incur expenditure from the competent authority, (c) A properly detailed design has been approved, (d) Estimates containing the detailed specification and quantities of various items have been approved by Public Works Department (PWD) or any other specialized agency, (e) Funds to cover the expenditure during the year have been provided by the competent authority, (f) Tenders have been invited and processed in accordance with the rules.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 61/III (2)/16-15/(मु°मं°घो°)/2015, दिनांक 12.01.2016 द्वारा लम्बाई किमी. 5.00 हेतु कुल लागत ` 310.00 लाख की प्राप्त थी। अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्र संख्या 6647/636 सी.-8/2016, दिनांक 5.09.2016 द्वारा प्राप्त कराये गये आगणन पर उनकी संस्तुति के आधार पर लम्बाई 4.80 किमी. हेतु लागत ` 310.00 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (टि.क्षे.) लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा वाया पत्रांक 5037/846 चम्बा (टी.एस.)-टिहरी/16, दिनांक 19.09.2016 प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 39/एस.ई.-8/2016-17, दिनांक 28.03.2017 गठित किया गया था। अनुबन्ध के ठेकेदार का नाम मै0 पंवार कन्ट्रक्शन एण्ड ऐसाशियेट्स है। अनुबन्ध धनराशि रू. 22926783.00 थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 28.03.2017 एवं कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 27.09.2018 थी। उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा दिनांक 25.10.2019 को पूर्ण किया गया, जो कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि है। उक्त कार्य Nabard-XXIV के अन्तर्गत पूर्ण किया गया था। Nabard-XXIV के सापेक्ष जारी किये गये प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट को पूर्ण किये जाने पर रू. 309.99 लाख का व्यय हुआ, जबकि उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध के सापेक्ष जारी अन्तिम बिल 13 भुगतान तिथि 25.06.2020 के अनुसार रू. 23995359.61 के व्यय पर कार्य पूर्ण किया गया। प्राविधिक स्वीकृति (DPR)s के Bill of Quantity के S.I. No. 19 के Item Metal Beam Crash Barrier की धनराशि रू. 1187920.00 एवं S.I. No. 20 के Construction of parapet की धनराशि रू. 917913.60 दोनो कार्य की कुल धनराशि रू. 2105833.00 आता है। गठित अनुबन्ध मे शामिल नही था। यदि उक्त दोनो कार्यो को जोड़ने पर रू. 26101201.61 आता है, यदि इस पर Quality Control एवं Contigency 4 प्रतिशत जोड़ा जाय तो धनराशि रू. 1044048.06 आता है।

इस उपरोक्त कार्य पर कुल व्यय ` 27145249.67 आता है। जबकि कार्य की PCR में कुल व्यय ` 309.99 लाख दर्शाया गया है, जो लेखा परीक्षा द्वारा आगणित व्यय से ` 3853750.33 (27145249.67-30999000.00) अधिक है।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर खंड ने उत्तर में बताया कि उक्त कार्य की स्वीकृति वर्ष 2016 की थी जबकि 07/2017 से GST 12% का प्रावधान प्रारम्भ हुआ था जो कि आगणन/अनुबंध के अंतर्गत नहीं थी जिसका वहन भी स्वीकृति के अंतर्गत ही किया गया।

उक्त कार्य Crash Barrier के स्थान पर सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्लम कंक्रीट का कार्य पैरापिट एवं ग्रामवासियों के भवनों के सुरक्षात्मक कार्य हेतु किया गया है, मार्ग सुरक्षा हेतु धन अभाव व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कंक्रीट में अतिरिक्त पैरापिट का निर्माण कार्य कराया गया। अनुबंध संख्या 27/EE(2019-20)Dt 03.12.2019(कुँवर सिंह नेगी)।

खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि प्राविधिक स्वीकृति (DPR)s के Bill of Quantity के S.I. No. 19 तथा S.I. No. 20 के Item Work, जो उपरोक्त गठित अनुबंध में शामिल नहीं था, के सापेक्ष अनुबंध संख्या 27/EE(2019-20)Dt 03.12.2019 (कुँवर सिंह नेगी) गठित किया गया था ` 23,44,109 के व्यय से कार्य दिनांक 10.02.2020 को पूर्ण कर लिया गया जिसका अंतिम भुगतान॥ Final Bil॥ द्वारा दिनांक 26.06.2020 को किया गया। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु गठित दोनों अनुबन्धों पर कुल धनराशि रु. 2,63,39,469 (23995359.61 + 23,44,109) के व्यय से कार्य पूर्ण करा लिया गया ।प्राविधिक स्वीकृति (DPR)s केअनुसार यदि इस पर Quality Control एवं Contigency 4 प्रतिशत जोड़ा जाय तो धनराशि रू.1053579 आता है।

इस उपरोक्त कार्य पर कुल व्यय ` 27393048 (2,63,39,469+1053579) आता है। जबकि कार्य की PCR में कुल व्यय ` 309.99 लाख दर्शाया गया है, जो लेखा परीक्षा द्वारा आगणित व्यय से ` 3605952 (30999000.00 -27393048) अधिक है, जो इंगित करता है कि अंतरीय धनराशि ` 36,05,952 का अनियमित व्यय/व्ययवर्तन हुआ है । जहां तक अलग से GST भुगतान का प्रश्न है उपरोक्त दोनों अनुबंधों के किए गये कुल भुगतान ` 27393048 में जीएसटी का अंतरीय भुगतान भी सम्मिलित है, अतः इसके अतिरिक्त अन्य कोई जीएसटी का भुगतान अवशेष नहीं रहता है।

अतः ` 36.06 लाख के अनियिमत/व्यावर्तन है, का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के निम्नलिखित प्रस्तर संख्या में प्रावधानित था कि :-

प्रस्तर संख्या-524 ठेकेदार से सम्बन्धित लेखों को ठेकेदारों की बही, प्रारूप 43 में पृथक पृष्ठों के संयोग (Set of folios) में लिखा जायेगा जिसमें प्रत्येक ठेकेदार से सम्बन्धित सभी संव्यवहारों के लिए व्यक्तिगत खाता होगा।

प्रस्तर संख्या-509 कार्य सारांश को प्रथमतः उप-प्रखण्ड कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिये। इसमें नकद पुस्तिका (Cashbook) और सम्बन्धित ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से लिखना चाहिये तथा अन्तिम प्रभार की वापसी लेखन (write book) और नकद वापसी को ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में लिखना चाहिये। महीने के अन्त में भण्डारण एवं समायोजन संव्यवहारों को सम्मिलित करना चाहिये तथा निर्धारण पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा की उल्लेख किया जाना चाहिये तथा निलम्बित शीर्षक (1) ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान (2) ठेकेदारों को प्रतिभूति अग्रिम और (3) ठेकेदारों के अन्य संव्यवहार के अधीन सकल योग की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ठेकेदारों के लेखे के बन्दी जमाराशि (Closing Balance) का विवरण दिखाया जाना चाहिये। कार्य सारांश को प्रखण्ड लेखाकार की देखरेख में जांचा और बन्द किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा-

"इस कार्य सारांश को मेरे देखरेख में मेरे द्वारा जांचा गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी मदों का मिलान 'ठेकेदारों का विवरण' 'ठेकेदारों के सन्दर्भ में बन्दी जमाराशि' के रजिस्टर से किया है उन्हें सही पाया है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा के अभिलेखों की नमूना जांचके दौरान पाया गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के उक्त प्राविधानों के बावजूद खण्ड के अन्तर्गत ठेकेदारो की बही (Contractors Ledger), तथा कार्य सारांश (works abstract) का रखरखाव नही किया जा रहा था।

उक्त को इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि Contractor Ledger एवं Work abstract की प्रक्रिया की कार्यवाही की जायेगी खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि होती है कि उक्त अभिलेखों का रखरखाव खण्ड के अन्तर्गत नही किया जा रहा था।

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-।। 'अ' प्रस्तर संख्या.	भाग-।। 'ब' प्रस्तर संख्या
1	05/2003-04	-	1,2
2	20/2005-06	1	1
3	100/2006-07	1,2	-
4	08/2010-11	1,2	-
5	16/2012-13	1, 2, 3	1
6	66/2013-14	1	1
7	03/2016-17	-	2
8	61/2017-18	-	2
9	89/2018-19	1	1,2,3
10	95/2019-20	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।				

भाग-।v

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

1. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
2. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एन.एस. खोलिया	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

3. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री आर.आर. भूषण सिंह,	वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड,महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषितकिया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)